फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस – युनिट नं. 509–815, आठवॉ फ्लोर टॉवर ए,एमार डिजिटल ग्रीन्स गोल्फ कोर्स एक्स, रोड सेक्टर 61 गुरूग्राम 122102। तथा ब्रांच ऑफिस 303 तीसरा फ्लोर एक्सिस मॉल भगवान दास रोड राजधानी हॉस्पिटल के सामने सी स्कीम जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी सिद्धार्थ तिवारी।

– प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री राजू सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी गांव कुण्डेली तहसील देवगढ़ मियाला राजसमन्द 313341 **– ऋणी**
2. श्री नाहर सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह निवासी बिचाला बांस कुण्डेली तहसील देवगढ़ मियाला राजसमन्द 313341 **– सहऋणी व गारण्टर**
3. श्रीमती नौजी देवी पत्नी नाहर सिंह निवासी निवासी गांव कुण्डेली मियाला तहसील देवगढ़ मियाला राजसमन्द 313341 **– सहऋणी व गारण्टर**

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 02 /2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.02.2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बैंक उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 26.12.2023 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने बतौर ऋणी/सहऋणी प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड से खाता संख्या LXUDP03221-220015970 से दिनांक 30.03.2022 को 6.50,000/– अक्षरे छः लाख पचास हजार रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण राशि के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी संपति को प्रार्थी के पक्ष में बंधक रखा है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः– **बंधक सम्पत्ति का विवरण :–** पट्टा नं. 19 पार्ट ऑफ आराजी नं. 376 बुक 14/2021 मिसल नं. 5/83 संकल्प नं.	

1/69 दिनांक 18.10.2021 कुण्डेली ग्राम पंचायत सांगावास पंचायत समिति देवगढ़ जिला राजसमन्द क्षेत्रफल 1575 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्वः श्रवण सिंह का मकान, पश्चिम : आम रास्ता उत्तर : मिश्री लाल का भूखण्ड दक्षिण : स्वयं की मकान है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यक्तिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 03.08.2023 को उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 7,02,540.18/– अक्षरे सात लाख दो हजार पांच सौ चालीस अठारह पैसे दिनांक 08.08.2023 तक शेष व देय हैं प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 08.08.2023 को अप्रार्थीगण नोटिस दिया गया। नोटिस की तामिल हो जाने के बावजूद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड को नहीं किया गया हैं। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड प्रकरण में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 08.08.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थीगण/ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण : पट्टा नं. 19 पार्ट ऑफ आराजी नं. 376 बुक 14/2021 मिसल नं. 5/83 संकल्प नं. 1/69 दिनांक 18.10.2021 कुण्डेली ग्राम पंचायत सांगावास पंचायत समिति देवगढ़ जिला राजसमन्द क्षेत्रफल 1575 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्वः श्रवण सिंह का मकान पश्चिमः आम रास्ता उत्तरः मिश्री लाल

न्यायालय जिला कलक्टर

का भूखण्ड दक्षिणः स्वयं की मकान है।

उपरोक्त प्रकराणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य को दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्ज़ा प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ.भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)